

लोकसभा का उपाध्यक्ष

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में **लोकसभा** में वपिक्ष की सीटों संख्या में हुई वृद्धि ने **उपाध्यक्ष या डपिटी स्पीकर** का पद हासिल करने में उनकी रुचि को पुनः जागृत कर दिया है।

- यह पद **17वीं लोकसभा (2019-24)** के दौरान रकित रहा, जो **16वीं लोकसभा (2014-19)** से अलग है, जहाँ सत्तारूढ़ पार्टी के सहयोगी दल के **सांसद (Member of Parliament - MP)** ने संभाला था।

उपाध्यक्ष की भूमिका क्या है?

- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - **अनुच्छेद 95(1):** इसमें प्रावधान है कि यदि अध्यक्ष का पद रकित हो तो **उपाध्यक्ष** उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
 - सदन की अध्यक्षता करते समय **उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के समान ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।**
 - नयिमों में "अध्यक्ष" के सभी संदर्भों को **उपाध्यक्ष के लिये भी संदर्भ माना जाएगा, उस समय के लिये जब वह अध्यक्षता करते हैं।**
 - **अनुच्छेद 93:** इसमें प्रावधान है कि **लोक सभा को यथाशीघ्र सदन के दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना होगा।**
 - **अनुच्छेद 178:** इसमें राज्य विधानसभाओं के **अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिये भी प्रावधान है।**
- **उपाध्यक्ष चुनने की बाध्यता:**
 - संविधान में **उपाध्यक्ष के चयन के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है**, जिससे सरकारें उसकी नियुक्ति में देरी कर सकती हैं या उसे टाल सकती हैं।
 - **अनुच्छेद 93 और अनुच्छेद 178 में "करेगा" और "जतिनी जल्दी हो सके"** शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो यह दर्शाता है कि **केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य है, बल्कि इसे जल्द से जल्द कराया जाना चाहिये।**
- **चुनाव के नियम:**
 - **अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव लोक सभा के सदस्यों में से उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है।**
 - **लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 8 द्वारा शासित होता है।**
 - उपाध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर दूसरे सत्र में होता है, **लेकिन नई लोकसभा या विधानसभा के पहले सत्र में भी हो सकता है।**
 - उपाध्यक्ष सदन के भंग होने तक अपने पद पर बना रहता है।
- **त्यागपत्र और नषिकासन:**
 - **अनुच्छेद 94 (और राज्य विधानसभाओं के लिये अनुच्छेद 179)** के तहत, यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोक सभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं, तो वे अपना पद छोड़ देंगे।
 - वे **लोक सभा के सभी सदस्यों के बहुमत (पूर्ण बहुमत) द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा इस्तीफा भी दे सकते हैं या पद से हटाए जा सकते हैं।**
- **वपिक्ष की ओर से उपाध्यक्ष:**
 - संसदीय परंपरा के अनुसार, **वपिक्षी पार्टी ने कई मौकों पर लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद संभाला है।** इसमें कॉंग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए-I (2004-09) और यूपीए-II (2009-14) सरकारों के साथ-साथ प्रधानमंत्रियों अटल बहारी वाजपेयी (1999 से 2004), पी वी नरसिंहा राव (1991-96) और चंद्रशेखर (1990-91) के कार्यकाल के दौरान भी शामिल है।

लोकसभा अध्यक्ष



लोकसभा का संवैधानिक/औपचारिक प्रमुख जो इसके दिन-प्रतिदिन के कामकाज की अध्यक्षता करता है

लोकसभा के लिये जैसे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष होता है वैसे ही राज्यसभा हेतु सभापति/उपसभापति होता है

भारत में उत्पत्ति

- 1921 (भारत सरकार अधिनियम 1919) प्रेसीडेंट तथा डिप्टी प्रेसीडेंट के रूप में

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रेसीडेंट और डिप्टी प्रेसीडेंट के नामों को क्रमशः अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) में बदल दिया

निर्वाचन (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों)

- अनुच्छेद 93, भाग V
 - एक साधारण बहुमत द्वारा
 - पुनः निर्वाचन हेतु पात्र

निर्वाचन हेतु मानदंड

- लोकसभा का सदस्य होना चाहिये
- कोई विशेष योग्यता नहीं
- आम तौर पर, सत्ताधारी दल से संबंधित होता है

कार्यकाल:

- 5 वर्ष (अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक)

लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष/स्पीकर अपना पद तुरंत खाली नहीं करता है

शक्तियाँ

- लोकसभा में भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार; उसके निर्णय प्रकृति में बाध्यकारी हैं
- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है
- गणपूर्ति के अभाव में सदन को भंग/बैठक को स्थगित कर सकता है
- गतिरोध को दूर करने के लिये मतदान करने की शक्ति
- निर्णय करता है:
 - कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं
 - लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता (10वीं अनुसूची के तहत) (यह शक्ति 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से प्रदान की गई)

पद से हटाना (शर्तें)

- यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता/रहती
- उपाध्यक्ष को लिखित त्याग-पत्र
- प्रभावी बहुमत से हटाया जाना

//

अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष की नियुक्ति

- लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी.मावलंकर की वर्ष 1956 में अपना कार्यकाल पूरा किये बिना मृत्यु हो गई जिसके पश्चात् उपाध्यक्ष एम.अनंतशयनम् अयंगर ने 1956 से 1957 की अवधिक लोकसभा के शेष कार्यकाल का कार्यभार संभाला ।
 - इसके पश्चात् अयंगर को दूसरी लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था ।
- इसी प्रकार वर्ष 2002 में जी.एम.सी. बालायोगी के नधिन के बाद मनोहर जोशी द्वारा अध्यक्ष का पद धारण करने से पूर्व उपाध्यक्ष और कॉन्ग्रेस सांसद पी.एम. सईद ने दो माह की अवधि के लिये कार्यवाहक अध्यक्ष का पद ग्रहण किया ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2017)

1. लोकसभा अथवा राज्य की वधिानसभा के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को नरिवाचति घोषति कयि जाने के लयि कयि गए मतदान का कम-से-कम 50 प्रतशित वोट पाना अनवार्य है ।
2. भारत के संवधिान में अधकिथति उपबंधों के अनुसार, लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद वपिक्ष को जाता है ।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

प्रश्न. लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2012)

1. वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता/करती है ।
2. यह आवश्यक नहीं कि अपने नरिवाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु अपने नरिवाचन के छह माह के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा ।
3. यदविह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधति करना होगा ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (b)